न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–प्रदीपसिंह सांगावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या डिकी 28 सन 2021
पंजीयन दिनांक 25.3.2021

रमेशचंद पिता उंकारलाल कुमावत निवासी–छोटीसादडी जिला–प्रतापगढ ।

–अपीलाटं

विरूद्व

1.मंजूदेवी पत्नी रामरतन कुमावत ।
2.आशीष पिता रामरतन कुमावत ।
3.सुनीता पिता रामरतन कुमावत ।
4.अर्चना पिता रामरतन कुमावत ।
5.कल्पना पिता रामरतन कुमावत ।
6.मोहनलाल पिता उंकारलाल कुमावत ।
7.कन्हैयालाल पिता उंकारलाल कुमावत सभी निवासियान छोटीसादडी जिला प्रतापगढ ।
8.राज्य जरिये तहसीलदार छोटीसादडी ।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिकी उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी
प्रकरण संख्या 17/2019 निर्णय दिनांक 18.11.2020

उपस्थित–श्री चन्दनमल जणवा –अधिवक्ता अपीलाट
श्री राकेशपुरी गोस्वामी–अधिवक्ता रेस्पो01से 7
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता 08

–0–

निर्णय दिनांक 27.12.2023

प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है वादीगण /रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी के न्यायालय में राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53–209 के अन्तर्गत मौजा छोटीसादडी की आराजी नम्बर 805/2652 रकबा 0.14 हैक्टेयर के सबंध में पेश किया गया जो विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी द्वारा दिनांक 18.11.2020 को वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया गया जिसके विरूद्व अपीलांट/प्रतिवादीसंख्या 1 ने उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी विपक्षी/रेसपोडेन्ट को जरिये नोटीस जारी किये गये ओर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

इस न्यायालय में अपील विलम्ब से पेश की गयी जिसके लिये अधिवक्ता अपीलांट ने धारा–5 कानून मियाद का प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायहित में स्वीकार किया गया जाकर अन्दर मियाद भुमार की जाती है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्ट सख्या 1 से 5 तक की आर से प्रस्तुत वाद में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेन्ट के सम्मन जारी किये गये एवं पत्रावली में दिनांक 9.8.2019 एवं 19.8.2019 को पेशी

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

नियत की गयी थी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.8.2019 को अपीलांट के खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई ओर मोहनलाल ने स्वंय उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया गया तथा पत्रावली दिनांक 2.9.2020 को अपीलांट प्रार्थना–पत्र के जवाब हेतु नियत थी परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना ही एवं अपीलांट के प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 जा.दी को नजरअंदाज करते हुये दिनांक 18.11.2020 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो विधि अनुरूप नही है ।अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.11.2020 को निरस्त कराने का अनुरोध किया गया ।

विद्वान अधिवक्त रेस्पोडेन्ट ने वक्त विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी की प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री बंटवाडा नियमों के अनुकुल होकर से अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्तओ की बहस सुनी ओर पत्रावली का अवलोकन किया गया विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट वादीगण ने अपीलांट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्व बंटवाडे का वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने पत्रावली दर्ज की जाकर तारीख पेशी दिनांक 9.8.19 एवं 19.8.19 नियत कर अपीलांट के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही पारित कर दी जिस पर अपीलांट प्रतिवादीग के अधिवक्ता द्वारा दो तरफा का आवेदन प्रस्तुत किया जिस का निस्तारण किये बगैर अधिनस्थ विचारण न्यायालय ने दिनांक 18.11.2020 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर फर्द बंटवाडा तलब किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया है ऐसी स्थिति मेंअधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय वडिक्री दिनांक 18.11.2020 सिविल प्रकियां सहित 1908 के विधि विरूद्व होने से अपीलांट प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकारकिये जाने योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट प्रतिवादी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.11.2020 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली मे पेण्डिन प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी का निस्तारण कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खूले न्यायालय मे सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ